

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] No. 222] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/आषाढ़ 6, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ASHADHA 6, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2019

फा.सं.मानक/सहयोज्य/2-अधिसूचना /एफएसएसएआई-2018- खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना एफ. सं. मानक/सहयोज्य-2/अधिसूचना/ एफएसएसएआई-2018, तारीख 8 अक्तूबर 2018, द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 15 अक्तूबर 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

3145 GI/2019

विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) पहला संशोधन विनियम. 2019 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, उपविनियम 2.3.15 में, खंड 6 के पश्चात, निम्नलिखित खंड में अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात-
 - "(7) खाद्य तेल और वसा में सुवास पदार्थो की तरह डाईएसीटाइल के उपयोग पर निर्बंधन।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन.- III/4/असा./109/19]

टिपप्ण:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए: –

- (i) फा.सं.4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;
- (ii) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;
- (iii) फा.सं.मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;
- (iv) फा.सं. ए-1 (1)/मानक/एम.एम.पी/2012, दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 और
- (v) एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 31 जुलाई, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

No.Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018.- Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2018, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI-2018, dated the 8th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on 15th October, 2018;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) First Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.15, after clause 6, the following clause shall be inserted, namely:
 - "(7) Restriction on the use of diacetyl as flavouring substance in oils and fats.".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./109/19]

- **Note:-** The Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011, and subsequently amended *vide* notification numbers-
 - (i) F.No.4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;
 - (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
 - (iii) F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
 - (iv) F.No. A-1(1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017 and
 - (v) File No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018.